न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्याः–152/2012/भीलवाड़ा (2012/00011)

1. नारायणसिंह पुत्र जोधसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धांगडास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. शंकर पुत्र नारू,
2. देवीलाल पिता नारू,
3. लेहरू पत्नि नारू,
4. राजी पुत्री नारू,
5. अमरचंद पुत्र हरीराम,
6. उलीचंद पुत्र हरीराम,
7. गिरधारी पुत्र हरीराम,
8. श्रीमती सण्गारी पत्नि हरीराम **(नाम तर्क)**
9. मोहन पिता प्यारा **(नाम तर्क)**
10. रत्ता पिता प्यारा,
11. कन्हैयालाल पुत्र ऊंकार,
12. श्रीमती अनोपी पत्नि ऊंकार,
    सभी जाति गाडरी, निवासी ग्राम धांकडास, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय जिला उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 31.1.2012 अंतर्गत प्रकरण संख्या 29/2005.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोर्डेंट्स अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–21.12.2017

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 31.1.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 में रेस्पो0 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत ग्राम धांगडास में स्थित हाल खाता संख्या 56 में अंकित खसरा नंबर 24, 36, 37, 38, 36–ख, 57, 60, 61, 73, 74, 81, 85, 98 एवं 101 कुल किता 15 कुल रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा बाबत् प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अपने परिवार का सजरा का वर्णन करते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजियात नारू पिता तुलछा, अमरचंद, दीलीचंद, गिरधारी पिता हरीराम, मु0 सणगारी बेवा हरीराम, मोहन, ऊंकार एवं रत्ता पिता प्यारा, मु0 जेती पत्नि जुवारमल के नाम दर्ज थी एवं प्रार्थी द्वारा जैती का हिस्सा बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.7.1983 को क्रय किया एवं नामांतकरण संख्या 51 तस्दीक किया गया एवं मौके पर अपीलांट का 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त है किन्तु बंदोबस्त अधिकारियों ने बिना किसी आधार के अपीलांट का 1/3 हिस्सा को रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दिया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे । अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने निर्णय दिनांक 31.1.2012 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है । xx

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात में नारू पिता तुलछा का 1/3 हिस्सा, अमरचंद, दलीचंद, गिरधारी पिता हरिराम, मु0 सणगारी बेवा हरिराम, मोहन, ऊंकार, रता पिता प्यारा 1/3 हिस्सा एवं जेती पत्नि जुवारमल 1/3 हिस्सा दर्ज था । अपीलांट ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.7.1993 को मु0 जेती का संपूर्ण 1/3 हिस्सा क्रय कर लिया था । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 51 दिनांक 7.8.1993 को स्वीकृत किया गया था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढाते हुए कथन किया कि तत्समय भू–प्रबंध की कार्यवाही चल रही थी । इस कारण रेस्पो0 ने भू–प्रबंध अधिकारियों से मिलीभगत कर अवधि बंदोबस्त एवं जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 में 1/6 हिस्सा

दर्ज करवा लिया जबकि सजरे अनुसार नारू के वारिसान शंकर, देवीलाल लेहरी, राजी के 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिये तथा प्यारा के वारिस हरिराम, मोहन ऊंकार, रता के नाम प्रत्येक का 1/12 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था एवं हरिराम फौत हो चुका है और उसके उत्तराधिकारी अमरचंद, दलीचंद, गिरधारी, मु0 सणगारी के नाम 1/48 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था । मोहन लाऔलाद जीवित है व रता भी लाऔलाद जीवित है तथा ऊंकार के उत्तराधिकारी कन्हैयालाल व अनोपी है तथा अपीलांट के नाम क्रय के आधार पर 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था किन्तु भू-प्रबंध अधिकारियों ने बिना आदेश के अपीलांट का 1/3 हिस्से के बजाय 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है । भूप्रबधं विभाग को बिना किसी आदेश के इंद्राज परिवर्तन का अधिकार नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्व विभाग को नामांतकरण 51 के अनुसार ही जमाबंदी में आगे इंद्राज दर्ज करने चाहिये थे किन्तु भू-प्रबंध विभाग ने इंद्राज परिवर्तन कर त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने भी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलांट की अपील अपास्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 31.1.2012 अपास्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0भूराजस्व अधि0 1956 स्वीकार किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी गांव में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.3. 2012 को बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 13.3.2012 को गंगापुर जाकर न्यायालय से निर्णय की पुष्टि की एवं तत्पश्चात् निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित होने से अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दू से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अपीलांट की बहस पर मनन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी में अपीलांट के विक्रेता मु0 जेती का 1/3 हिस्सा था जिसे अपीलांट ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.7.1993 को क्रय कर कब्जा प्राप्त

कर लिया था तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 51 पारित किया गया था किन्तु भू-प्रबंध विभाग ने जमाबंदी संवत् 2060 में नारू पि0 तुलछा 5/12, अमरचंद, दलीचंद, गिरधारी, पि0 हरिराम, मु0 सणगारी बेवा हरिराम, मोहन, रतन पि0 प्यारा, कन्हैयालाल पिता ऊंकार, मु0 अनोपी बेवा ऊंकार 5/12, नारायणसिंह पिता जोधसिंह राजपूत 1/6 सा0दे0 खातेदार दर्ज करने में त्रुटि कारित की है जबकि अपीलांट का विक्रय के आधार पर 1/3 हिस्सा दर्ज करना चाहिये था । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 का अवलोकन किया गया । उक्त जमाबंदी के कॉलम संख्या 5 में खातेदारों के रूप में नारू पिता तुलछा, प्यारा, मियाचंद पिता केला एवं नेना, जीतु व दल्ला पिता मेगा गाडरी का अंकन किया हुआ है । जमाबंदी के उक्त अंकन से केला के वारिसान 1/2 हिस्से के तथा मेगा के वारिसान 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतीत होते है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा के समक्ष संपूर्ण सजरा प्रस्तुत नहीं किया है तथा ना ही विक्रय पत्र की प्रति ही प्रस्तुत की है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में जमाबंदी के उक्त इंद्राज से यही प्रतीत होता है कि मियाराम द्वारा जेती के पक्ष में 1/2 हिस्से के 1/3 हिस्से की बक्शीश की गई थी तथा जेती द्वारा 1/2 हिस्से के 1/3 हिस्से का ही विक्रय किया गया है । जमाबंदी के उक्त इंद्राजात अनुसार भू-प्रबंध विभाग द्वारा जमाबदी में अपीलांट का दर्ज हिस्सा 1/6 सही दर्ज होना पाया जाता है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपनी अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 31.1.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 152/2012 (2012/00011) बउनवानी नारायण सिंह बनाम शंकर व अन्य को अपास्त किया जाता हैं तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा प्रकरण संख्या 29/2005 बउनवानी नारायणसिंह बनाम शंकर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.1.2012 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 21.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर